न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 26/2017 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

1. गोपाल सिंह
2. महावीर सिंह } पिसरान बाबूलाल जाति जाट निवासी ग्राम पुरा मालौनी तहसील रूपवास
3. रघुवीर सिंह } जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. फूलवती विधवा चरन सिंह
2. जीतेन्द्र पुत्र स्व0 पीतम बाबा फगुनी } जाति जाटव नि0 ग्राम मालौनी हाल तेजनगर तहसील
3. सोबरन सिंह पुत्र स्व0 चिरमोली } रूपवास जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 15.06.17 मि.नं. 102/14 उनवानी फूलवती बनाम गोपाल सिंह।

उपस्थित :–
1. श्री भूपत कुमार जैन अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. रैस्पोडेण्ट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 05.02.2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 05 बीघा 08 विस्वा से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम पुरा तहसील रूपवास रैस्पो0/वादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई कब्जे काश्त एवं गैर खातेदारी की आराजी है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एक लठैत व ताकतवर, बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं एवं रैस्पो0/वादीगण एक कमजोर व गरीब, दलित व्यक्ति हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण रैस्पो0/वादीगण की उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः अपने अधिकार एवं हको की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 अनुपस्थित, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर, बहस अपीलाण्ट एकपक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषाक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। दावा रैस्पो0/वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् था, जिसे रैस्पो0 को सिद्ध करना था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दावा सिद्ध किये, अपीलाण्ट को पाबन्द करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखा गया। राजस्व लोक अदालत में दोनों पक्षो की समझायश कर राजीनामा कराते हुए प्रकरण निस्तारित किये जाते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की अनुपस्थिति दर्ज कर प्रकरण को मनमानी तरीके से निस्तारित किया है। अपीलाधीन आदेश सीपीसी के प्रावधानुसार निर्णय की परिभाषा में नही आता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि प्रकरण वास्ते कायमी तनकियात में लम्बित था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकी कायम किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कानूनी गलत है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0 को दावा स्थाई निषेधाज्ञा, दायर करने का हक नहीं था क्योंकि रैस्पो0 विवादित आराजी पर गैर खातेदार दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 में रैस्पो0 को राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होना चाहिए था। अतः दावा मैन्टेबिल नहीं था। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं है, केवल राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज हैं। कब्जा अपीलाण्ट का है एवं अपीलाण्ट ही खातेदार है। विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होते हुए भी धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के दावा में कब्जा धारी को पाबन्द नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में बार–बार ''अस्थाई निषेधाज्ञा'' शब्द का उल्लेख किया है एवं अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्थाई व अस्थाई शब्द में भेद नहीं मानकर निर्णय जैर अपील करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रैस्पो0/वादीगण के दावे, अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा में अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.01.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में दिनांक 23.01.2017 को तनकीयात कायम की गई हैं किन्तु अपीलाधीन निर्णय तनकीवार नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया अनुसार वाद में तनकीयात कायम होने पर निर्णय तनकीवार किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त रैस्पो0/वादीगण ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 107 में दर्ज, अन्य सहखातेदारों को, वाद में पक्षकार नहीं जोडा है, जो कि आवश्यक पक्षकार थे। अतः वाद Non Joinder of party के दोष से भी ग्रसित है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय दिनांक 15.06.2017 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर पुनः तनकीवार, विधिसम्मत निर्णय पारित करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.03.2018 को उपस्थित हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

Web Copy - Not Official